


संविधान एवं नियम



सितम्बर, 2012

भारतीय जनता पार्टी

संविधान एवं नियम

भारतीय जनता पार्टी

धारा-1 : नाम

पार्टी का नाम "भारतीय जनता पार्टी" होगा (आगे "पार्टी" शब्द से यही बोध होगा)।

धारा-2 : उद्देश्य

पार्टी एक ऐसे भारत के निर्माण के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है, जो सुदृढ़, समृद्ध एवं स्वावलम्बी राष्ट्र हो, जिसका दृष्टिकोण आधुनिक, प्रगतिशील एवं प्रबुद्ध हो, और जो अपनी प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों से सगर्व प्रेरणा ग्रहण करता हो तथा एक ऐसी महान विश्व शक्ति के रूप में उभरने में समर्थ हो, जो विश्व शान्ति तथा न्याययुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विश्व के राष्ट्रों में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर सके।

पार्टी का लक्ष्य एक ऐसे लोकतंत्रीय राज्य की स्थापना करना है जिसमें जाति, सम्प्रदाय अथवा लिंग का भेद-भाव किए बिना सभी नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक न्याय, समान अवसर तथा धार्मिक विश्वास एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके।

पार्टी विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान तथा समाजवाद, पंथ-निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी तथा भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखण्डता को कायम रखेगी।

धारा-3 : मूल दर्शन

"एकात्म मानववाद" पार्टी का मूल दर्शन होगा।

धारा-4 : निष्ठाये

राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता, लोकतंत्र, 'सामाजिक-आर्थिक विषयों पर गांधीवादी दृष्टिकोण', जिससे शोषणमुक्त एवं समतायुक्त समाज की स्थापना हो सके, 'सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता' अर्थात् सर्वधर्मसमभाव, मूल्यों पर आधारित राजनीति और आर्थिक और राजनीतिक विकेंद्रीकरण में पार्टी विश्वास करती है।

धारा-5 : झण्डा

पार्टी का झण्डा दो रंगों का, खड़े केसरिया व हरे रंगों में होगा, जिनका अनुपात 2:1 का रहेगा। केसरिया रंग के बीच में पार्टी का चुनाव-चिन्ह नीले रंग में अंकित होगा, जो इसके आधार के आधे के बराबर होगा। हरा भाग स्तम्भ की ओर होगा।

धारा-6 : चुनाव चिन्ह

पार्टी का चुनाव-चिन्ह "कमल" होगा।

धारा-7 : संगठनात्मक ढाँचा।

1. राष्ट्रीय स्तर :

(क) पार्टी का पूर्ण-अधिवेशन या विशेष अधिवेशन;

2. (ख) राष्ट्रीय परिषद; तथा

ग) राष्ट्रीय कार्यकारिणी।

2. प्रदेश स्तर :

(क) प्रदेश परिषद; और

(ख) प्रदेश कार्यकारिणी

3. क्षेत्रीय समितियाँ।

4. जिला समितियाँ।

5. मण्डल समितियाँ।

6. ग्राम केंद्र/शहरी केंद्र।

7. स्थानीय समितियाँ।

नोट : (1) स्थानीय तथा मण्डल समिति का क्षेत्र संबंधित प्रदेश कार्यकारिणी निर्धारित करेगी। कोई भी स्थानीय समिति 5000 की जनसंख्या से अधिक की नहीं होगी।

(2) प्रदेश कार्यकारिणी, यदि कोई अन्य निश्चय न करे तो जिलों का क्षेत्र सामान्यतः राज्य के प्रशासकीय जिलों के ही समान होगा, परंतु जिन नगरों की जनसंख्या पाँच लाख से अधिक होगी, उन्हें पृथक् जिला बनाया जा सकेगा।

(3) संबंधित प्रदेश कार्यकारिणी जनसंख्या के आधार पर बीस

लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय क्षेत्रों को एक से अधिक जिलों में विभाजित कर सकेगी।

धारा-8: प्रदेश इकाई का क्षेत्र

भारत के संविधान में उल्लिखित राज्य और केंद्र-शासित क्षेत्रों के अनुरूप पार्टी की प्रदेश इकाइयों का संगठन होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी चाहे तो महानगर क्षेत्रों अथवा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए प्रदेश इकाइयों के अंतर्गत क्षेत्रीय समितियों के गठन की स्वीकृति दे सकती है। इन समितियों के अधिकार तथा कार्य केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

धारा-9 : सदस्यता

(क) 1. 18 वर्ष या अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, जो विधान की धारा 2, 3 और 4 को स्वीकारता है, सदस्यता-पत्र फार्म (क) में लिखित घोषणा करने पर और निर्धारित शुल्क देने पर पार्टी का सदस्य बन सकता है, शर्त यह है कि वह किसी अन्य राजनीतिक पार्टी का सदस्य न हो।

2. सदस्यता का काल-खण्ड सामान्यतः 6 वर्ष का होगा। नया काल-खण्ड प्रारम्भ होने पर (जिसका निर्णय राष्ट्रीय कार्य समिति समय-समय पर करेगी) सभी सदस्यों को फिर सदस्यता-पत्र भरना होगा।

इस बीच मृत्यु, त्याग-पत्र अथवा निष्कासन से सदस्यता समाप्त हो जायेगी।

3. कोई भी व्यक्ति सामान्यतः अपने स्थाई निवास-स्थान पर अथवा उस जगह पर, जहाँ वह अपना काम-काज करता हो, पार्टी का सदस्य बनेगा। कोई भी सदस्य एक समय में एक से अधिक स्थानों पर सदस्य नहीं होगा।

4. स्थान परिवर्तन के लिए सदस्य को लिखित आवेदन संबंधित जिला/प्रदेश को देना होगा।

(ख) सदस्यों से प्राप्त शुल्क हर तीन वर्ष बाद निम्नलिखित अनुपात में इकाइयों में विभाजित किया जायेगा :

राष्ट्रीय - 10 प्रतिशत, प्रादेशिक - 15 प्रतिशत

जिला - 25 प्रतिशत, मण्डल - 50 प्रतिशत

धारा-10 : कार्यकाल

प्रत्येक परिषद्/कार्यकारिणी/समिति तथा उसके पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्य-काल सामान्यतः तीन वर्ष का होगा।

धारा-11: सदस्य-पंजिका

- (1) स्थानीय समिति के अनुसार प्राथमिक सदस्यों की पंजिका मंडल समिति द्वारा तैयार करवाई जायेगी जिसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार जिला कार्यकारिणी प्रमाणित करेगी। प्रमाणित सदस्यता-पंजिका की एक प्रति जिला समिति तथा एक प्रति संबंधित स्थानीय समिति को भेजी जायेगी।
- (2) इस प्रकार तैयार की गई पंजिका में प्रत्येक सदस्य का पूरा नाम, पिता/पति का नाम, आयु, व्यवसाय, निवास-स्थान का पता, सदस्यता फार्म का क्रमांक और भर्ती की तारीख, पहली बार भा. ज.पा. सदस्य बनने का वर्ष तथा सदस्यता फार्म क्रमांक का उल्लेख होगा।

धारा-12: सक्रिय सदस्य

- (1) पार्टी का सक्रिय सदस्य उसे माना जायेगा
(क) जिसे पार्टी का सदस्य बने कम-से-कम तीन वर्ष का समय हो गया हो।
(ख) सक्रिय सदस्य आवेदन-पत्र के साथ 100 रु0 (स्वयं अथवा एकत्र कर) पार्टी कोष में जमा करेगा। आवेदन-पत्र अस्वीकार होने पर भी यह राशि लौटाई नहीं जाएगी।
(ग) वह केंद्र, प्रदेश, जिला अथवा मण्डल कार्यकारिणी की योजनानुसार पार्टी के कार्यक्रमों जिनमें आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी शामिल हैं, भाग लेगा। संबंधित इकाइयों इसका विधिवत् ब्यौरा रखेगी।
(घ) प्रदेश या केंद्र की पार्टी पत्रिका का ग्राहक बनेगा।
- (2) मंडल समिति या उससे ऊपर की किसी समिति या परिषद् का चुनाव लड़ने अथवा सदस्य बनने का हक सक्रिय सदस्य को ही होगा।
- (3) सक्रिय सदस्यों को प्रत्येक सत्र के अवसर पर फार्म (ख) भर कर जिला कार्यालय में आवेदन करना होगा।

(4) प्रत्येक सत्र के लिए सक्रिय सदस्यों के आवेदन-पत्र जिला अध्यक्ष अपनी सिफारिश सहित तीन सदस्यीय उपसमिति को विचारार्थ भेजेगा। इस उपसमिति के दो सदस्य जिला अध्यक्ष द्वारा और एक सदस्य प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जायेगा, जो समिति का संयोजक होगा। उप समिति उप-धारा 1 (क) और (ग) में लिखित शर्तों में कुछ मामलों में छूट भी दे सकेगी। उपसमिति का निर्णय जिला कार्यालय में अधिसूचित किया जाएगा।

उप समिति के निर्णय के विरुद्ध प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा गठित तीन-सदस्यीय अपील समिति को 10 दिन के अन्दर अपील की जा सकेगी। प्रदेश स्तरीय तीन सदस्यीय समिति के निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत 3 सदस्यीय अपील समिति के समक्ष की जा सकेगी।

स्वीकृत फार्म जिला कार्यालय को भेजे जायेंगे जहाँ मंडल के अनुसार सूची तैयार की जायेगी।

- (5) सदस्यता-पंजिका में प्रत्येक सक्रिय सदस्य का पूरा नाम, पिता/पति का नाम, आयु, व्यवसाय, निवास-स्थान का पता, पार्टी का प्रथम बार सदस्य बनने की तिथि, सदस्यता क्रमांक तथा वर्तमान सत्र में सदस्य बनने की तिथि तथा अन्य जरूरी ब्यौरे दर्ज किए जाएंगे।
- (6) जिला समिति द्वारा मण्डलवार तैयार की गई सक्रिय सदस्यता-सूची की एक-एक कम्प्यूटरीकृत प्रति मण्डल, प्रदेश व केंद्रीय कार्यालय को भेजी जायेगी।
- (7) सक्रिय सदस्य सिर्फ अपने ही मण्डल क्षेत्र से संबंधित मंडल, जिला तथा प्रदेश चुनावों में भाग ले सकेगा।
- (8) राष्ट्रीय कार्यसमिति द्वारा चुनाव का कार्यक्रम घोषित किये जाने के बाद किसी सक्रिय सदस्य को अनुशासनात्मक कार्यवाई के आधार पर चुनाव लड़ने से नहीं रोका जायेगा।

धारा-12 (क) : प्रदेशों का श्रेणीकरण

- (1) प्रदेशों को 3 श्रेणियों में बांटा जायेगा :
श्रेणी 1 जिन प्रदेशों में 3 अथवा कम लोकसभा सीटें हैं।
श्रेणी 2 जिन प्रदेशों में 4 से 20 तक लोकसभा सीटें हैं।
श्रेणी 3 जिन प्रदेशों में 21 से अधिक लोकसभा सीटें हैं।
- (2) ऐसे राज्य/संघ क्षेत्र, जहां विद्यमान चार स्तरीय संगठनात्मक प्रणाली

व्यवहार्य नहीं है, वे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्ण अनुमति से अपने लिए उपयुक्त संगठन ढांचा गठित कर सकते हैं।

धारा-13 : स्थानीय समिति

- (1) स्थानीय समिति क्षेत्र में कम-से-कम 25 सदस्य होने चाहिए।
- (2) स्थानीय समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के सभी सदस्य निर्धारित नियमों के अनुसार करेंगे।
- (3) स्थानीय समिति की चार श्रेणियाँ होगी :
 - (1) 25 से 49 सदस्यों की समिति
 - (2) 50 से 149 सदस्यों की समिति
 - (3) 150 से 299 सदस्यों की समिति
 - (4) 300 और उससे अधिक सदस्यों की समिति
- (4) श्रेणी (1) की स्थानीय समिति के अध्यक्ष और 12 सदस्यों का चुनाव होगा, जिसमें कम-से-कम चार महिला सदस्य होंगी। अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से दो सचिव मनोनीत करेगा। श्रेणी (2) की स्थानीय समिति के लिए समिति के अध्यक्ष और 18 सदस्यों का चुनाव होगा, जिसमें कम-से-कम छः महिला सदस्य होंगी। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से एक महामंत्री और दो सचिव नियुक्त करेगा जिनमें से एक महिला होगी। श्रेणी (3) की स्थानीय समिति के लिए समिति के अध्यक्ष और 24 सदस्यों का चुनाव होगा, जिसमें कम-से-कम आठ महिला सदस्य होंगी। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से दो उपाध्यक्ष, एक महामंत्री और दो सचिव मनोनीत करेगा। पदाधिकारियों में दो महिला होंगी। श्रेणी (4) की स्थानीय समिति के लिए समिति का अध्यक्ष और 30 सदस्य चुने जाएंगे, जिसमें कम-से-कम दस महिलाएं होंगी। समिति का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से तीन उपाध्यक्ष, दो महामंत्री और तीन सचिव नियुक्त करेगा। पदाधिकारियों में कम-से-कम 3 महिलाएं होंगी।
- (5) केवल वही व्यक्ति स्थानीय समिति का अध्यक्ष हो सकेगा जो कम से कम एक वर्ष पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो। जिला अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि की शर्त में छूट दे सकता है।

धारा-13 (क) : ग्राम केंद्र/शहरी केंद्र

ग्राम केंद्र/शहरी केंद्र के अंतर्गत प्रदेश द्वारा निर्धारित उचित संख्या में स्थानीय इकाइयाँ आएंगी। मण्डल अध्यक्ष मण्डल कार्य समिति के सदस्य को ग्राम केंद्र/शहरी केंद्र का संयोजक मनोनीत करेगा। सम्बद्ध स्थानीय समितियों के अध्यक्ष ग्राम केंद्र/शहरी केंद्र के सदस्य होंगे।

धारा-14 : मण्डल समिति

- (1) (क) श्रेणी 1 के प्रदेशों की मण्डल समिति में अध्यक्ष और अधिक-से-अधिक 30 सदस्य होंगे, जिनमें कम-से-कम 10 महिलाएं तथा 3 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे। मण्डल का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से अधिक-से-अधिक तीन उपाध्यक्ष, दो महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष तथा अधिक से अधिक तीन मंत्री मनोनीत करेगा। पदाधिकारियों में कम से कम 3 महिलाएं, एक SC/ST होगा।
(ख) श्रेणी 2 के प्रदेशों की मण्डल समिति में अध्यक्ष और अधिक-से-अधिक 45 सदस्य होंगे, जिनमें कम से कम 15 महिलाएं तथा 3 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे। मण्डल का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से अधिक-से-अधिक चार उपाध्यक्ष दो महामंत्री एक कोषाध्यक्ष तथा अधिक-से-अधिक पांच मंत्री मनोनीत करेगा। पदाधिकारियों में कम से कम 4 महिलाएं, एक SC/ST होगा।
(ग) श्रेणी 3 के प्रदेशों की मण्डल समिति में अध्यक्ष और अधिक-से-अधिक 60 सदस्य होंगे, जिनमें कम-से-कम 20 महिलाएं तथा 4 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे। मण्डल का अध्यक्ष समिति के सदस्यों में से अधिक-से-अधिक 6 उपाध्यक्ष दो महामंत्री एक कोषाध्यक्ष तथा अधिक-से-अधिक 6 मंत्री मनोनीत करेगा। पदाधिकारियों में कम से कम 5 महिलाएं, 2 SC/ST होंगे।
- (2) समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव उस मण्डल क्षेत्र की कम-से-कम उत्तनी स्थानीय समितियों के सभी निर्वाचित अध्यक्षगण द्वारा किया जायेगा जिनकी संख्या प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- (3) केवल सक्रिय सदस्य ही समिति के सदस्य हो सकेंगे। जहाँ अत्यन्त आवश्यक हो वहाँ सक्रिय सदस्य बनने के लिए "तीन वर्ष की अवधि" की शर्त में जिला अध्यक्ष छूट दे सकेगा।

धारा : 15 जिला समिति

- (1) (क) श्रेणी 1 के प्रदेशों की जिला समिति में अध्यक्ष और अधिक-से-अधिक 45 सदस्य होंगे, जिनमें कम-से-कम 15 महिलाएं तथा 4 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे। जिला अध्यक्ष अपनी समिति के मनोनीत सदस्यों में से अधिक-से-अधिक चार उपाध्यक्ष, दो महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष तथा अधिक से अधिक पांच मंत्री मनोनीत करेगा। पदाधिकारियों में कम से कम 4 महिलाएं, 1 SC/ST होगा।
- (ख) श्रेणी 2 के प्रदेशों की जिला समिति में अध्यक्ष और अधिक-से-अधिक 66 सदस्य होंगे, जिनमें कम-से-कम 22 महिलाएं तथा 6 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे। जिला अध्यक्ष अपनी समिति के मनोनीत सदस्यों में से अधिक-से-अधिक 6 उपाध्यक्ष, दो महामंत्री, एक महामंत्री संगठन, एक कोषाध्यक्ष तथा अधिक से अधिक 6 मंत्री मनोनीत करेगा। पदाधिकारियों में पांच महिलाएं और 2 अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे।
- (ग) श्रेणी 3 के प्रदेशों की जिला समिति में अध्यक्ष और अधिक-से-अधिक 90 सदस्य होंगे, जिनमें कम-से-कम 30 महिलाएं तथा 6 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे। जिला अध्यक्ष अपनी समिति के मनोनीत सदस्यों में से अधिक-से-अधिक आठ उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री, एक महामंत्री संगठन, एक कोषाध्यक्ष और अधिक-से-अधिक 8 मंत्री मनोनीत करेगा। पदाधिकारियों में सात महिलाएं और दो अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे।
- (2) (क) : जिला अध्यक्ष के निर्वाचन के हेतु मण्डल समिति के सदस्य मण्डलवार अपने बीच से एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करेंगे। समिति के अध्यक्ष का चुनाव जिले के सभी निर्वाचित मण्डल अध्यक्षगण और मण्डलों से निर्वाचित प्रतिनिधिगण द्वारा किया जायेगा। जिला निर्वाचक मण्डल के कोई 10 प्रतिशत सदस्य संयुक्त रूप से कम-से-कम 6 वर्ष प्राथमिक सदस्य रहे व्यक्ति का नाम प्रस्तावित करेंगे किंतु यह संयुक्त प्रस्ताव कम-से-कम 1/3 निर्वाचित मण्डल इकाइयों की ओर से किया जाएगा। अध्यक्ष कार्य समिति का मनोनयन करेगा। मनोनयन करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि भौगोलिक, सामाजिक, व्यावसायिक, तथा संगठनात्मक विस्तार की दृष्टि से उचित प्रतिनिधित्व दिया जाये।

- (ख) राज्य अध्यक्ष की पूर्व सहमति से जिला अध्यक्ष समिति के सदस्यों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भी महामंत्री (संगठन) नियुक्त कर सकता है। वह समिति का पूर्णकालिक सदस्य होगा।
- (3) अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकेगा जो कम से कम छः वर्ष प्राथमिक सदस्य रहा हो। समिति के अन्य सदस्य वे व्यक्ति हो सकेंगे जो साधारणतया कम से कम तीन वर्ष प्राथमिक सदस्य रहे हों। उनका सक्रिय सदस्य होना भी जरूरी है। विशेष परिस्थितियों में और संगठन हित में जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अधिकतम पांच सदस्यों को इस शर्त से छूट दे सकता है।
- (4) स्थायी आमंत्रित पदेन सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रितों की संख्या जिला कार्यसमिति में 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

धारा 16 : प्रदेश परिषद्

- (1) प्रदेश परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे :
- (क) धारा 16 उप-धारा (2) के अधीन जिला इकाइयों द्वारा निर्वाचित सदस्य।
- (ख) राज्य में पार्टी के सभी विधायकों द्वारा अपने में से चुने गए 10 प्रतिशत सदस्य, परन्तु 10 से कम नहीं। यदि विधायकों की कुल संख्या 10 से कम हो, तो सभी विधायक।
- (ग) राज्य से पार्टी के संसद सदस्यों का 10 प्रतिशत, परन्तु 3 से कम नहीं। यदि सदस्यों की संख्या 3 से कम हो, तो सभी सदस्य।
- (घ) राज्य से राष्ट्रीय-परिषद् के सभी सदस्य।
- (ङ) प्रदेश के सभी भूतपूर्व प्रदेश-अध्यक्ष।
- (च) प्रदेश कार्यकारिणी के सभी सदस्य।
- (छ) क्षेत्रीय समिति के सभी पदाधिकारी।
- (ज) राज्य विधान सभा और विधान परिषद् में पार्टी विधायक दल के नेता।
- (झ) राज्य के सभी जिलों के अध्यक्ष तथा महामंत्री।
- (ञ) महानगर परिषद्, नगरपालिका, जिला परिषद् तथा ब्लाक समिति में पार्टी के अध्यक्ष।
- (ट) प्रदेश अध्यक्ष द्वारा नामांकित सदस्य (अधिक-से-अधिक 25)
- (ठ) सम्बद्ध मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रकोष्ठों के प्रदेश संयोजक।
- (2) प्रत्येक जिले से निर्वाचित मण्डल समिति के सदस्यों द्वारा प्रदेश परिषद्

के लिए उतनी संख्या में सदस्य निर्वाचित होंगे, जितनी कि वहाँ की विधान सभा की सीटें हैं, किन्तु इन निर्वाचित प्रतिनिधियों में उस जिले के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए जितनी सीटें विधानसभा में आरक्षित हैं, कम-से-कम उतनी संख्या में अनुसूचित जाति/जन-जाति के सदस्य चुने जाएंगे। प्रत्येक जिले के दो-दो विधान सभा क्षेत्रों को मिलाकर भागों में बांटा जायेगा तथा प्रत्येक भाग में कम से कम एक प्रतिनिधि अवश्य चुना जायेगा। इन भागों का निर्धारण प्रदेश कार्य-समिति द्वारा किया जायेगा। यदि जिले से प्रदेश परिषद् के लिए निर्वाचित सदस्यों में एक भी महिला नहीं चुनी गई है, तो वह जिला एक अतिरिक्त महिला सदस्य तथा यदि उस जिले से सभी स्थान आरक्षित हैं तो गैर-अनुसूचित वर्ग का एक अतिरिक्त सदस्य भी चुना जायेगा।

(3) प्रदेश परिषद् का प्रत्येक सदस्य 50 रुपये शुल्क देगा।

धारा-17 : प्रदेश कार्यकारिणी

- (1) (क) श्रेणी 1 के प्रदेशों की कार्यकारिणी में अध्यक्ष तथा अधिक-से-अधिक 75 सदस्य होंगे, जिनमें कम-से-कम 25 महिलायें और छः अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे।
- (ख) श्रेणी 2 के प्रदेशों की कार्यकारिणी में अध्यक्ष तथा अधिक-से-अधिक 90 सदस्य होंगे, जिनमें कम-से-कम 30 महिलायें और सात अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे।
- (ग) श्रेणी 3 के प्रदेशों की कार्यकारिणी में अध्यक्ष तथा अधिक-से-अधिक 105 सदस्य होंगे, जिनमें कम-से-कम 35 महिलायें और 9 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे।
- (2) प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव धारा 16(1) के (क), (ख) और (ग) में वर्णित, प्रदेश परिषद् के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगा।
- (3) कार्यकारिणी के सदस्यों का मनोनयन प्रदेश अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
 - (1) श्रेणी 1 के प्रदेशों की कार्यकारिणी में अधिक-से-अधिक 6 उपाध्यक्ष, दो महामंत्री, एक महामंत्री संगठन, तथा 6 मंत्री और एक कोषाध्यक्ष होंगे। पदाधिकारियों में पांच महिलाएं और तीन अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे।
 - (2) श्रेणी 2 के प्रदेशों की कार्यकारिणी में अधिक-से-अधिक 8 उपाध्यक्ष, तीन महामंत्री, एक महामंत्री संगठन, तथा 8 मंत्री और एक कोषाध्यक्ष

होंगे। पदाधिकारियों में कम-से-कम 7 महिलाएं और तीन अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे।

- (3) श्रेणी 3 के प्रदेशों की कार्यकारिणी में अधिक-से-अधिक दस उपाध्यक्ष, चार महामंत्री, एक महामंत्री संगठन, तथा दस मंत्री और एक कोषाध्यक्ष होंगे। पदाधिकारियों में कम-से-कम नौ महिलाएं और 3 अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति होंगे।
- (4) प्रदेश अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकेगा जो तीन अवधियों तक सक्रिय सदस्य और 10 वर्ष तक प्राथमिक सदस्य रहा हो। प्रदेश निर्वाचक-मंडल के कोई भी 10 सदस्य प्रदेश अध्यक्ष पद के चुनाव की अर्हता रखने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकेंगे, किंतु यह प्रस्ताव कम-से-कम 1/3 निर्वाचित जिलों से आना चाहिए। नामांकन-पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति आवश्यक होगी।
- (5) (क) महामंत्री संगठन की नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से ही की जायेगी। यदि किसी कारण से महामंत्री संगठन को कार्यमुक्त करना या बदलना जरूरी हो तो इसके लिए भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। आवश्यक होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री-संगठन की नियुक्ति का निर्देश दे सकते हैं।
- (ख) राष्ट्रीय अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति के सदस्यों के अतिरिक्त भी किसी व्यक्ति को महामंत्री संगठन मनोनीत कर सकता है। यह मनोनीत व्यक्ति समिति का पूर्ण सदस्य होगा।
- (6) प्रदेश अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति में कम-से-कम 25 प्रतिशत नए सदस्यों को स्थान देंगे। राज्य कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रितों की संख्या पदेन स्थायी आमंत्रितों के अलावा उसकी कुल संख्या के 25% से अधिक नहीं होगी।

धारा-18 : राष्ट्रीय परिषद्

- (1) राष्ट्रीय परिषद् के निम्नलिखित सदस्य होंगे :
 - (क) प्रदेश परिषदों द्वारा धारा 18 उप-धारा (2) के अनुसार निर्वाचित सदस्य।
 - (ख) पार्टी के संसद सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये 10 प्रतिशत सदस्य परंतु 10 से कम नहीं। यदि पार्टी के संसद सदस्यों की संख्या 10

से कम हो तो सभी।

- (ग) पार्टी के सभी भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष।
(घ) प्रदेशों के अध्यक्ष।
(ङ) लोकसभा, राज्यसभा में पार्टी के नेता।
(च) सभी प्रदेशों की विधान-सभाओं/परिषदों में पार्टी के नेता।
(छ) राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अधिक-से-अधिक 40 नामांकित सदस्य।
(ज) राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य, तथा
(झ) मोर्चों के अ.भा. अध्यक्ष तथा प्रकोष्ठों के अखिल भारतीय संयोजक।
- (2) धारा (16) (1) (क), (ख) और (ग) में वर्णित प्रदेश परिषद् के सदस्य अपने प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद् के लिए उतनी संख्या में सदस्य निर्वाचित करेंगे जितने उस राज्य में लोक-सभा के स्थान हैं, बशर्ते कि सदस्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य उस राज्य से इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या से कम न हों। प्रदेश के दो-दो लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर भागों में बांटा जायेगा तथा प्रत्येक भाग से कम-से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य चुना जायेगा। इन भागों का निर्धारण राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।
- (3) राष्ट्रीय परिषद् का प्रत्येक सदस्य 100 रुपये शुल्क देगा।

धारा-19 : राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव

- (1) अध्यक्ष का चुनाव एक निर्वाचक-मण्डल द्वारा किया जायेगा, जिसमें,
(क) राष्ट्रीय परिषद् की धारा (18) (1) (क) एवं (ख) में वर्णित सदस्य, तथा
(ख) प्रदेश परिषदों की धारा (16) (1) (क), (ख) एवं (ग) में वर्णित सदस्य शामिल होंगे।
- (2) चुनाव राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कराया जायेगा।
- (3) राष्ट्रीय अध्यक्ष वही व्यक्ति हो सकेगा जो कम-से-कम चार अवधियों तक सक्रिय सदस्य और कम-से-कम 15 वर्ष तक प्राथमिक सदस्य रहा हो। निर्वाचक-मण्डल में से कोई भी बीस सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव की अर्हता रखने वाले व्यक्ति के नाम का संयुक्त रूप से प्रस्ताव कर सकेंगे। यह संयुक्त प्रस्ताव कम-से-कम ऐसे पांच प्रदेशों से आना जरूरी है जहाँ राष्ट्रीय परिषद् के चुनाव संपन्न हो चुके हों। नामांकन-पत्र पर उम्मीदवार की स्वीकृति आवश्यक होगी।

धारा-20 : राष्ट्रीय कार्यकारिणी

- (1) राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष तथा अधिक-से-अधिक 120 सदस्य होंगे, जिनमें कम-से-कम 40 महिलायें तथा 12 अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जायेंगे।
- (2) अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों में से अधिक-से-अधिक 13 उपाध्यक्ष, 9 महामंत्री, एक महामंत्री (संगठन), अधिक-से-अधिक 15 मंत्री तथा एक कोषाध्यक्ष को मनोनीत किया जायेगा। पदाधिकारियों में से कम-से-कम 13 महिलाएं होंगी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में से प्रत्येक वर्ग में से कम-से-कम तीन पदाधिकारी होंगे।
- (3) कार्यकारिणी के सदस्य वे व्यक्ति हो सकेंगे जो कम-से-कम तीन अवधियों तक सक्रिय सदस्य रहे हों। विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिक-से-अधिक 15 सदस्यों को इस शर्त से छूट दे सकेगा।
- (4) आवश्यकता होने पर राष्ट्रीय अध्यक्ष महामंत्री संगठन की सहायता के लिए एक या अधिक संगठन मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं और प्रदेश अध्यक्ष को भी ऐसी नियुक्तियों की अनुमति दे सकते हैं।
- (5) आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष दो या दो से अधिक प्रदेशों के संगठन कार्य के लिए क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों की नियुक्ति कर सकते हैं और राज्य अध्यक्ष को राज्य स्तर पर दो या अधिक जिलों के लिए विभाग/संभाग संगठन मंत्रियों की नियुक्ति की अनुमति दे सकते हैं।
- (6) राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति में कम-से-कम 25 प्रतिशत नए सदस्यों को स्थान देंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थायी आमंत्रित पदेन सदस्यों के अतिरिक्त विशेष आमंत्रितों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (7) राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा जिला स्तरों पर पूर्णकालिक कार्यकर्ता को ही महामंत्री (संगठन) के पद पर नियुक्त किया जायेगा। पद मुक्त होने के दो वर्ष बाद ही वह किसी भी चुनाव में भाग लेने के लिए अर्ह माना जायेगा।

धारा-21 : अध्यक्ष का कार्य-काल

कोई पात्र सदस्य तीन-तीन वर्ष के लगातार दो कार्यकाल तक अध्यक्ष पद पर रह सकेगा।

धारा-22 : पूर्ण अधिवेशन

- (1) निम्नलिखित व्यक्ति पूर्ण अधिवेशन में भाग लेने के अधिकारी होंगे :
- (क) राष्ट्रीय परिषद् के सभी सदस्य,
(ख) प्रदेश परिषदों के सभी सदस्य,
(ग) पार्टी के सभी संसद-सदस्य,
(घ) प्रदेश में पार्टी विधानमण्डल दल के सभी सदस्य, और
(ङ) राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा उस अधिवेशन के लिए निश्चित की गई अन्य श्रेणियाँ।
- (2) पार्टी का पूर्ण-अधिवेशन साधारणतया एक सत्र में एक बार होगा। अधिवेशन के समय और स्थान का निर्धारण राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा।
- (3) अधिवेशन की अध्यक्षता पार्टी के अध्यक्ष करेंगे।

धारा-23 : विशेष अधिवेशन

- (1) पार्टी का विशेष अधिवेशन तब होगा जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी ऐसा निश्चय करे अथवा राष्ट्रीय परिषद् के कम-से-कम 1/3 सदस्य विनिर्दिष्ट विषय पर चर्चा करने का अनुरोध करते हुए आवेदन करें।
- (2) राष्ट्रीय परिषद् के सभी सदस्य विशेष अधिवेशन के प्रतिनिधि होंगे।

धारा-24 : शक्तियाँ एवं अधिकार-क्षेत्र

- (1) पूर्ण अधिवेशन अथवा विशेष अधिवेशन में लिये गये सभी निर्णय पार्टी की सभी इकाइयों, संगठन के सभी अंगों, मोर्चा, प्रकोष्ठों तथा सदस्यों पर लागू होंगे।
- (2) उप-धारा (1) में वर्णित निर्णयों के अधीन राष्ट्रीय परिषद् पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई होगी।
- (3) उप-धारा (1) व (2) के अधीन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी का सर्वोच्च प्राधिकरण होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी उन सभी अधिकारों का उपयोग कर सकेगी, जिन्हें किसी अन्य उपांग को स्पष्टतया नहीं सौंपा गया होगा। वह सभी इकाइयों एवं उपांगों के कार्य-संचालन हेतु नियम बनायेगी। वह पार्टी के कोष का हिसाब रखने तथा प्रतिवर्ष उसके अंकेक्षण और स्वीकृति के लिए नियम बनाएगी तथा व्यवस्था करेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कर्तव्य होगा कि वह सभी इकाइयों और उपांगों को अधिकार दे, उनके कार्य-संचालन और कर्तव्यों का निर्धारण करे, चुनावों के लिए नियम बनाये तथा चुनाव कराने हेतु व्यवस्था करे

तथा तत्संबंधी विवादों का निपटारा करवाये।

- (4) सभी उपांग एवं इकाइयों राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित उत्तरदायित्व संभालेंगी तथा अपने-अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का पालन करेंगी।
- (5) राष्ट्रीय कार्यकारिणी अनुशासनहीनता के मामलों के निपटारे के लिए विभिन्न स्तरों पर अनुशासन समितियों के गठन हेतु नियम बनायेगी।
- (6) राष्ट्रीय कार्यकारिणी विभिन्न कार्यकारिणियों में त्याग-पत्र, निष्कासन अथवा मृत्यु से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु नियम बनायेगी।

धारा-25 : संसदीय बोर्ड

राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी की संसदीय गतिविधियों के संचालन और समन्वय हेतु एक संसदीय बोर्ड का गठन करेगी, जो इस संबंध में नियम बनायेगा। इस बोर्ड में पार्टी अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 सदस्य होंगे। इनमें से एक संसद में पार्टी का नेता होगा और पार्टी के अध्यक्ष इस बोर्ड के प्रधान होंगे। अध्यक्ष पार्टी के महामंत्रियों में से एक को संसदीय बोर्ड का सचिव नियुक्त करेंगे।

संसदीय बोर्ड को पार्टी के विधान मण्डल दल और संसदीय दल की गतिविधियों का पर्यवेक्षण और विनियमन करने का, मंत्री मण्डल गठन के संबंध में मार्गदर्शन करने का और विधान मण्डल दल तथा संसदीय दल के सदस्यों और प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों के अनुशासन भंग के मामले का विचार करने और उस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अधिकार होगा। बोर्ड को पार्टी द्वारा भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियों और नीति परिवर्तन के विषय में निर्णय करने का अधिकार होगा। बोर्ड राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नीचे की सभी संगठनात्मक इकाइयों का मार्गदर्शन और विनियमन करेगा। निर्णय लिए जाने के 21 दिन के भीतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की विशेष बैठक में निर्णय की अभिपुष्टि कराना आवश्यक होगा।

धारा-26 : केंद्रीय चुनाव समिति

राष्ट्रीय कार्यकारिणी निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्रीय चुनाव समिति का गठन करेगी, जिसमें संसदीय बोर्ड के सदस्यों के अतिरिक्त इस समिति हेतु निर्वाचित 8 सदस्य होंगे। महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा केंद्रीय चुनाव समिति की पदेन सदस्य होगी।

(क) यह समिति प्रादेशिक विधानमण्डलों तथा संसद के लिए उम्मीदवारों

का अंतिम रूप से चयन करेगी, तथा
(ख) चुनाव अभियानों का संचालन करेगी।

धारा-27 : प्रदेश चुनाव समिति

प्रदेश कार्यकारिणी आवश्यक नियम बनाकर प्रदेश चुनाव समिति का गठन करेगी जिसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 होगी। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश चुनाव समिति की पदेन सदस्य होगी।

(क) यह समिति प्रदेश से संसद तथा विधानमण्डल के लिए उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति को प्रस्तावित करेगी।

(ख) प्रदेश के अंतर्गत विभिन्न स्थानीय संस्थाओं, सहकारी समितियों तथा अन्य संस्थानों के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी।

(ग) प्रदेश में होने वाले सभी चुनाव अभियानों का संचालन करेगी।

धारा-28 : समन्वय समितियाँ

प्रदेश : पार्टी के संगठनात्मक और विधायी पक्ष में समन्वय और सहयोग के लिए प्रदेश अध्यक्ष सात सदस्यों की समन्वय समिति का गठन करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष होंगे। इसके सदस्यों में से तीन सदस्य प्रदेश कार्यसमिति से और तीन विधान मण्डल दल से लिये जायेंगे। विधान मण्डल दल से लिए गये सदस्यों में से एक विधायक दल का नेता होगा। यह समिति केंद्रीय संसदीय बोर्ड के निर्देशन और देख रेख में काम करेगी।

जिला : स्थानीय निकायों के कार्यों में समन्वय और ताल-मेल के लिए जिला अध्यक्ष जिला स्तर पर एक समन्वय समिति गठित करेंगे। इस समिति में जिला अध्यक्ष और जिला समिति के चार वरिष्ठ सदस्यों के अलावा निगमों, नगरपालिकाओं, जिला पंचायतों और सहकारी संस्थाओं के नेता होंगे। जिला अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होगा। यह समिति प्रदेश समन्वय समिति के पर्यवेक्षण और देख-रेख में काम करेगी।

मण्डल : मण्डल के अंतर्गत पंचायतों की गतिविधियों के समन्वय के लिए मण्डल अध्यक्ष मण्डल समन्वय समिति का गठन करेगा। इस समिति में मण्डल के अंतर्गत आने वाली ब्लाक पंचायत का नेता और ग्राम पंचायत के दो प्रतिनिधियों के अलावा मण्डल समिति के तीन सदस्य होंगे जिनमें से एक महासचिव होगा। मण्डल अध्यक्ष इस समिति का अध्यक्ष होगा। यह समिति जिला समन्वय समिति

की देख-रेख में कार्य करेगी।

धारा-29 : प्रदेश कोष और खाता

प्रदेश में कोष संग्रह, खर्च और हिसाब-किताब रखने के कार्य की देख-रेख करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष एक पांच सदस्यीय वित्त समिति का गठन करेंगे। पांच सदस्यों में एक प्रदेश कोषाध्यक्ष होगा। यह समिति प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशन में और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम करेगी।

धारा-30 : सदस्य-पंजिका की छान-बीन

प्रदेश कार्यकारिणी तथा जिला समिति प्रत्येक मण्डल के लिए तैयार किये गये छः वर्षीय सदस्यता रजिस्टर की जांच करेगी तथा पंजीकरण में हुई अनियमितता संबंधी शिकायतों के निपटारे की व्यवस्था करेगी तथा रजिस्टर में सुधार करवायेगी। बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की शिकायत होने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी जैसा आवश्यक समझेगी वैसी कार्यवाही करेगी। प्रदेश चुनाव अधिकारी तब तक चुनाव नहीं करायेगा जब तक उपर्युक्त रीति से पंजिका की जांच न कर ली जाये।

धारा-31 : मोर्चे व प्रकोष्ठ

सभी स्तरों पर महिला, युवा, किसान, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति में कार्य हेतु मोर्चों का गठन तथा समाज के अन्य क्षेत्रों में कार्य हेतु राष्ट्रीय, प्रादेशिक व जिला स्तरों पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत प्रकोष्ठों का गठन किया जायेगा।

धारा-32 : चुनाव सम्बन्धी विवाद

राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी और मण्डल कार्यकारिणी को अपने अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत पार्टी इकाइयों के चुनाव संबंधी विवाद निपटाने का अधिकार होगा।

धारा-33 : संविधान की व्याख्या

पार्टी संविधान की धाराओं और नियमों और उसके आशय की व्याख्या करने का अधिकार राष्ट्रीय कार्यसमिति को होगा। राष्ट्रीय कार्यसमिति का निर्णय सभी इकाइयों और सदस्यों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

धारा-34 : संविधान संशोधन

संविधान में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन सिर्फ पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा ही किया जा सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी संविधान में संशोधन, परिवर्तन या परिवर्द्धन करने का अधिकार होगा, जिसे पार्टी की राष्ट्रीय परिषद् के आगामी सम्मेलन के समक्ष पुष्टि के लिए रखा जायेगा। पर यह संशोधन राष्ट्रीय परिषद् द्वारा पुष्टि किये जाने के पूर्व भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के द्वारा निर्धारित तिथि से लागू माना जायेगा।

नियम

(धारा 9, 10 व 11 के अधीन)

1. पार्टी के सदस्यता-प्रपत्र संबंधित राज्य इकाई द्वारा ही छापे जायेंगे।
2. सदस्यता-प्रपत्रों पर क्रमवार संख्या डाली जायेगी। यह क्रम छः वर्षीय काल-खण्ड के बाद फिर से प्रारम्भ होगा। इन प्रपत्रों पर उस समय के प्रदेश अध्यक्ष के हस्ताक्षर की मुहर रहेगी।
3. सदस्यता-प्रपत्र पुस्तिकाओं के रूप में जारी किये जायेंगे। प्रथम वर्ष अथवा उस समिति क्षेत्र में पहली बार सदस्यता होने पर 25 फार्म की कॉपी दी जायेगी अन्यथा एक पुस्तिका में 10 फार्म होंगे।
4. जिले में सदस्य बनाने का उत्तरदायित्व मुख्यतः जिला/मण्डल इकाइयों का होगा। प्रदेश इकाइयों जिला इकाइयों को सदस्यता-प्रपत्र जारी करेगी। जिला इकाइयों बाद में इन प्रपत्रों को अपनी अधीनस्थ इकाइयों को जारी करेगी। विशेष परिस्थिति में व्यक्तिशः भी प्रपत्र जारी किये जा सकते हैं, पर एक बार में 50 से अधिक सदस्यता प्रपत्र जारी नहीं किये जायेंगे। पहले जारी किये गये प्रपत्रों का पूरा हिसाब व धन जमा करा देने के बाद ही अधिक प्रपत्र जारी किये जा सकेंगे। यदि इस आशय की शिकायत हो कि जिला इकाई प्रपत्रों का उचित वितरण नहीं कर रही है तो जॉच के बाद प्रदेश इकाई उन इकाइयों और व्यक्तियों को प्रपत्र सीधे ही वितरित कर सकेगी और सम्बंधित जिले को इसकी जानकारी दे देगी।
5. प्रपत्र जारी करते समय उनके प्राप्त होने के सम्बंध में प्रदेश/जिला/मंडल कार्यालय द्वारा हस्ताक्षरित पावती ली जायेगी। यदि कोई इकाई/व्यक्ति अप्रयुक्त प्रपत्रों को लौटाने और/प्रयुक्त प्रपत्रों का हिसाब समय से जमा कराने में विलम्ब करता है, तो उसे संगठनात्मक चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जायेगा।
6. (क) जिला इकाइयों प्रत्येक सत्र के लिए सदस्यों की स्थानीय और मण्डल समिति के अनुसार सूचियाँ तैयार करवायेगी। इनमें उस सत्र में बनाये गये नये सदस्यों को जोड़ा जायेगा। जिले में स्थानीय समिति और मंडल समिति के अनुसार किन-किन स्थानीय समितियों में कुल कितने-कितने सदस्य हो गये हैं, इसका पूर्ण ब्यौरा प्रदेश

को भेजा जायेगा। उपरोक्त ब्यौरा तैयार करते समय मृत्यु निष्कासन अथवा त्याग-पत्र देकर पार्टी छोड़ने वालों की संख्या का उल्लेख कर उसे घटा दिया जायेगा

(ख) सक्रिय सदस्यता आवेदन पत्र राज्य इकाई द्वारा छपवाए जाएंगे। राज्य इकाई द्वारा सदस्यों से प्राप्त आवेदन तथा धन, मण्डल इकाई द्वारा जिला कार्यालय को स्वीकृति हेतु भेजे जायेंगे। जिला इकाई द्वारा स्वीकृत आवेदनों की मण्डलवार सूची तैयार की जायेगी। इन सूचियों की प्रतियाँ केन्द्र, प्रदेश तथा सम्बंधित मण्डल को भेजी जायेंगी। केन्द्रीय कार्यालय के पास जब तक ये सूचियां नहीं पहुँचेगी तब तक मण्डल स्तर की इकाई के चुनाव नहीं होंगे।

(ग) किसी भी सदस्य का नाम उपरोक्त 6(क) तथा(ख) में बनाई गई सूचियों में एक से अधिक स्थान में नहीं रहेगा। यदि वह सदस्य एक स्थान से दूसरे स्थान की सूची में अपना नाम बदलवाना चाहता है, तो उसे धारा 9 (क) (4) के अन्तर्गत आवेदन करना होगा।

(घ) प्रदेश द्वारा प्रत्येक मण्डल/जिले से प्राप्त सक्रिय सदस्यता धन का विनियोग निम्न प्रकार से किया जायेगा

मण्डल	25 प्रतिशत
जिला	50 प्रतिशत
प्रदेश	15 प्रतिशत
केन्द्र	10 प्रतिशत

- ऐसी प्रदेश इकाइयों अथवा उनकी अधीनस्थ इकाइयों जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगी, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- सदस्यता सम्बन्धी आपत्तियों के निपटारे तथा उनकी अपीलों के सम्बंध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी नियम बनायेगी।
- पार्टी के त्रिवार्षिक चुनाव के लिए साधारणतया राष्ट्रीय कार्यकारिणी समय सारिणी तय करेगी। सदस्य पंजिका का प्राथमिक प्रकाशन स्थानीय, मण्डल तथा जिला केन्द्रों पर होगा और सक्रिय सदस्य पंजिका का प्रकाशन, जिला तथा प्रदेश केन्द्रों पर होगा

धारा – 13 : स्थानीय समिति

स्थानीय समिति क्षेत्र के सभी सदस्य चुनाव के लिए निर्धारित किए गए स्थान, समय और तिथि पर एकत्र होंगे। उम्मीदवार चुनाव के समय से एक घण्टा पूर्व तक अपने नामांकन पत्र भर सकेंगे (फार्म "ग")। नामांकन पत्रों की जाँच पड़ताल और नाम वापसी के बाद यदि आवश्यक हुआ तो सामान्यतः हाथ उठाकर मत लिये जायेंगे और परिणाम अधिक प्राप्त वोट के आधार पर घोषित किया जायेगा।

धारा – 14 मण्डल समिति

मण्डल समिति का चुनाव कराने हेतु पिछले सत्र की तुलना में कम से कम 20 प्रतिशत अतिरिक्त सदस्य भर्ती करना आवश्यक होगा।

धारा – 15 जिला समिति

जिला समिति तथा प्रदेश परिषद के सदस्यों के चुनाव, उस जिले में मण्डलों की कुल संख्या के कम से कम 50 प्रतिशत मण्डल विधिवत गठित हो जाने के बाद ही कराये जायेंगे।

मतदान की पद्धति

- स्थानीय समिति के अतिरिक्त पार्टी के सभी चुनाव गुप्त मतदान पद्धति से होंगे।
- प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय परिषद के चुनाव के लिए समय सारिणी केन्द्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।
- मण्डल, जिले व प्रदेश के चुनाव हेतु मतदान से एक दिन पूर्व नामांकन पत्र लिये जायेंगे। जाँच के बाद नाम वापसी के लिये समय निश्चित किया जायेगा। सर्वसम्मत चुनाव की संभावना होने पर भी परिणाम की घोषणा दूसरे दिन मतदान के लिए निर्धारित समय पर की जायेगी।
- नाम वापसी के बाद यदि निर्वाचन आवश्यक हुआ तो दूसरे दिन मतदान कराया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा अध्यक्ष तथा समिति की सदस्यता के लिये प्रत्याशियों की अलग अलग सूचियाँ भागों के अनुसार मतदान केन्द्र में ही सुवाच्य अक्षरों में लिख कर टांग दी जायेंगी। मतदाता इन्हीं सूचियों में से उसे दिये गये मत पत्र पर नाम लिख कर मतपेटी में डालेगा।

5. मतदान केन्द्र में प्रत्याशी तथा उसके केवल एक अभिकर्ता को प्रवेश करने दिया जायेगा। मतदान के पश्चात मतों की गिनती की जायेगी तथा परिणाम घोषित किया जायेगा।
6. अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदाता, उम्मीदवारों में से किसी एक का ही नाम मत पत्र पर लिखेगा। परिणाम की घोषणा साधारण बहुमत के आधार पर की जायेगी।
7. मण्डल समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए उम्मीदवारों में से मतदाता प्रांतों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित मंडल की श्रेणी के हिसाब से अपनी पसन्द के अधिक से अधिक 30/45/60 नाम मत पत्र पर लिखेगा। इनमें अधिक मत प्राप्त करने वाले क्रमानुसार 30/45/60 उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जायेंगे।
8. मण्डल समिति, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश परिषद्, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद् के चुनाव सामान्य बहुमत से एवं गुप्त मतदान की पद्धति से होंगे।
9. अपना मत पत्र स्वयं न भर सकने वाले मतदाता को अपनी पसन्द के अन्य मतदाता की सहायता लेने का अधिकार होगा। पर एक चुनाव में एक सहायक एक से अधिक मतदाता की सहायता नहीं कर सकेगा।
10. विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र तथा मतपत्र लगभग समान होने के कारण, अलग अलग पदों के लिए अलग रंग के कागज पर नामांकन पत्र/मत पत्र छापें जायें।

चुनाव संचालन

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी पार्टी के त्रिवार्षिक चुनाव कराने हेतु एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी।
2. राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी प्रत्येक राज्य के लिए एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगा, जो उस राज्य में जिला अध्यक्ष तथा प्रदेश परिषद् के सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था करेगा। राज्य चुनाव अधिकारी मंडल चुनाव कराने के लिए जिला चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करेगा। जिला चुनाव अधिकारी स्थानीय समिति चुनाव कराने के लिए मंडल चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगा। जिला और मंडल चुनाव अधिकारी उस क्षेत्र के बाहर के होने चाहिए जिसके लिये चुनाव कराये जा रहे हों। राज्य

चुनाव अधिकारी चाहे तो अपने राज्य से राष्ट्रीय परिषद् की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ सकेगा।

3. मण्डल स्तर तक के चुनाव विवादों का निपटारा जिला चुनाव अधिकारी द्वारा किया जायेगा। विवाद उठने के तीन दिन के अन्दर यह पेश कर दिया जाना चाहिए। 7 दिनों में इन विवादों का निपटारा कर दिया जायेगा। जिला चुनाव अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों की प्रदेश स्तरीय पुनर्विचार समिति को दस दिनों में अपील की जा सकेगी।
4. जिला अध्यक्ष और प्रदेश परिषद् सदस्यों के चुनावी विवादों को 3 दिन के अन्दर प्रदेश चुनाव अधिकारी को दिया जा सकता है जिन्हें 5 दिनों में निपटा दिया जायेगा। इसके विरुद्ध केन्द्रीय चुनाव अधिकारी द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय केन्द्रीय अपील कमेटी को 10 दिनों के अंदर अपील की जा सकेगी। इस अपील का निपटारा एक महीने में कर दिया जायेगा।
5. प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रदेश से राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों का चुनाव कराने हेतु अ० भा० चुनाव अधिकारी द्वारा उस प्रदेश से बाहर के व्यक्ति को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। केन्द्रीय चुनाव अधिकारी की अनुमति से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव प्रदेश के जिला केन्द्रों पर मतदान की व्यवस्था करवा कर कराया जा सकेगा। सभी बक्से जिनमें वोट डाले गये हैं, सील बंद स्थिति में प्रदेश केन्द्र पर लाये जायेंगे तथा निर्धारित तिथि पर मतगणना कर, सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जायेगा अन्यथा प्रदेश प्रतिनिधि सभा के सम्मेलन के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों का निर्वाचन (पहले दिन नामांकन, जांच, नाम वापसी तथा दूसरे दिन "मतदान" के द्वारा) कराया जायेगा।
6. प्रदेश के कम-से-कम 50 प्रतिशत जिलों से प्रदेश परिषद् सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद ही प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय परिषद् सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।
7. अ० भा० चुनाव अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 50 प्रतिशत राज्यों से राष्ट्रीय परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन के बाद ही प्रारंभ की जायेगी।

8. यदि नाम वापस लेने की अवधि समाप्त होने के बाद एक से अधिक नाम रह जायेंगे, तो निर्धारित मतदान तिथि पर प्रत्येक प्रदेश की राजधानी में अखिल भारतीय चुनाव अधिकारी द्वारा नियुक्त मतदान अधिकारी की निगरानी में वोट डाले जायेंगे। सभी बक्से, जिनमें वोट डाले गए हैं, सीलबंद स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र दिल्ली लाये जायेंगे, जहां चुनाव अधिकारी द्वारा पूर्व निर्धारित तिथि को मतगणना की जायेगी तथा सर्वाधिक वोट प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जायेगा।
9. प्रदेश चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किए जाने के 15 दिन के भीतर प्राप्त चुनाव याचिका पर प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति विचार करेगी। एक महीने में भेजी गई याचिका पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा गठित तीन सदस्यीय केन्द्रीय समिति विचार करेगी। इस समिति का निर्णय अंतिम होगा।

धारा-25 : अनुशासनात्मक कार्यवाही

1. राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर क्रमशः राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी द्वारा अनुशासन समितियां गठित की जायेंगी, जिनकी सदस्य संख्या 5 से अधिक नहीं होगी। ये समितियां अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेंगी।
2. प्रदेश अनुशासन समिति केवल अपनी अधीनस्थ इकाइयों तथा व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है। राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य तथा संसद सदस्य इनमें शामिल नहीं हैं।
3. अनुशासन भंग के संबंध में सूचना मिलने पर यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष चाहें, तो किसी भी व्यक्ति अथवा इकाई के निलम्बन के आदेश दे सकते हैं। आदेश की तिथि के सात दिन के भीतर कारण बताओं नोटिस जारी करना होगा।
4. कारण बताओं नोटिस प्राप्त होने के अधिक-से अधिक 10 दिन के भीतर सम्बद्ध व्यक्ति को उसका जवाब देना होगा। प्रदेश अध्यक्ष स्पष्टीकरण भेजने के लिए निर्धारित तिथि के बाद 7 दिन के भीतर शिकायत और यदि स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ हो तो उसे, प्रदेश अनुशासन समिति को विचार के लिए भेज देगा।
5. अनुशासन समिति अधिक-से-अधिक 15 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को दे देगी। प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति की सिफारिशों पर

एक सप्ताह के भीतर कार्यवाही करेगा।

यदि निर्धारित समय सीमा पूरी होने पर भी अंतिम आदेश पास नहीं किया जाता तो प्रकरण आगामी प्रदेश समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष एक महीने के भीतर सम्बद्ध व्यक्ति या इकाई को उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की सूचना देंगे।

6. किसी भी व्यक्ति के अथवा इकाई के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के संबंध में उस व्यक्ति अथवा इकाई को स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किये बिना अनुशासन भंग की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
7. प्रदेश स्तर पर अनुशासन भंग के मामले में प्रदेश स्तर पर की गई कार्यवाही की सूचना एक सप्ताह के भीतर, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी जायेगी।
8. प्रदेश की इकाई द्वारा अनुशासन भंग संबंधी कार्यवाही के फैसले के विरुद्ध प्रभावित इकाई अथवा सदस्य केन्द्रीय अनुशासन समिति को 15 दिनों के अन्दर अपील कर सकता है। अपील का निपटारा दो महीने में कर दिया जायेगा। पर अनुशासन भंग के संबंध में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में लिये गये निर्णय के विरुद्ध की गई अपील पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अगली बैठक में ही विचार किया जायेगा।
प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपीलकर्ता को केन्द्रीय अनुशासन समिति के निर्णय पर की गई कार्रवाई की सूचना एक महीने के भीतर करा दी जायेगी।
9. पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सदस्य को प्रदेश अध्यक्ष अथवा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पार्टी से तुरंत निष्कासित किया जा सकेगा
10. राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे तो किसी भी सदस्य को निलम्बित कर उसके विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं।

अनुशासन – भंग की व्याख्या

अनुशासन भंग के निम्नलिखित आधार होंगे :

(क) पार्टी के किसी भी कार्यक्रम अथवा निर्णय के विरुद्ध कार्य अथवा प्रचार करना।

(ख) सार्वजनिक निकायों के चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का विरोध करना। इसमें वे निकाय शामिल नहीं हैं जिनके लिए पार्टी का

चुनाव चिह्न नहीं दिया गया हो।

(ग) पार्टी के प्राधिकारियों द्वारा पारित नियम का उल्लंघन करना अथवा आदेश का अनुपालन न करना।

(घ) पार्टी के किसी बाद को बाहर की किसी सत्ता के समक्ष ले जाना जिसमें समाचार पत्र और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया भी शामिल है।

(ङ) अनधिकृत रूप से पार्टी के लिए धन एकत्र करना, पार्टी के धन का दुरुपयोग करना तथा सदस्य बनाने अथवा पार्टी के चुनाव कराने में कदाचार करना।

(च) पार्टी की प्रतिष्ठा को कम करने के उद्देश्य से कार्य करना। पार्टी की किसी इकाई अथवा उसके पदाधिकारियों के विरुद्ध प्रचार करना।

बैठकें

पार्टी की विभिन्न इकाइयों की बैठकें सामान्यतः कम से कम निम्नलिखित अवधि में होंगी :

राष्ट्रीय परिषद् तथा प्रदेश परिषद्	वर्ष में एक बार
राष्ट्रीय कार्यकारिणी तथा प्रदेश कार्यकारिणी	तीन महीने में एक बार
क्षेत्रीय समिति, जिला समिति तथा मंडल समिति	दो महीने में एक बार
स्थानीय समिति	एक महीने में एक बार

क्षेत्रीय, जिला और मंडल समिति की बैठक 6 महीने में एक बार भी न होने पर उक्त इकाई को भंग किया जा सकेगा। जो इकाइयां निष्क्रिय हो जायेंगी उन्हें, स्पष्टीकरण का अवसर देने के बाद, भंग करने का अधिकार प्रदेश कार्यकारिणी को होगा। राष्ट्रीय/प्रदेश अध्यक्ष भंग इकाइयों का काम चलाने के लिए तदर्थ व्यवस्था करेंगे। सामान्यतः तदर्थ व्यवस्था के छः महीने की अवधि में उस इकाई का पुनः चुनाव करा दिया जायेगा। यदि तदर्थ व्यवस्था के छः महीने के बाद भी चुनी हुई इकाई का गठन न हो सके तो उस तदर्थ व्यवस्था के स्थान पर नयी तदर्थ व्यवस्था करनी होगी।

बैठकों के लिए सूचना

	सामान्य बैठक	आपात्कालीन बैठक
स्थानीय समिति	5 दिन	2 दिन
क्षेत्रीय तथा मण्डल समिति	10 दिन	3 दिन
जिला समिति	15 दिन	5 दिन
प्रदेश कार्यकारिणी	21 दिन	7 दिन
राष्ट्रीय कार्यकारिणी	21 दिन	7 दिन
प्रदेश/राष्ट्रीय परिषद्	30 दिन	10 दिन

रिक्त स्थान

- (1) अपनी इकाई की बैठक से लगातार तीन से अधिक बार बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले सदस्य को सम्बन्धित इकाई की बैठक में पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकेगा।
- (2) स्थानीय, मंडल, जिला तथा क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष को सम्बन्धित समिति की विशेष बैठक में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकेगा। परन्तु शर्त यह होगी कि सम्बन्धित उच्चतर समिति के अध्यक्ष को समिति के कम-से-कम आधे सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित सूचना भेजी जायेगी। यह सूचना मिलने पर उच्चतर समिति का अध्यक्ष अपनी समिति के किसी भी पदाधिकारी/सदस्य को सूचना भेजने वाली समिति की आपात्कालीन बैठक बुलाने के लिये मनोनीत करेगा, जिसमें उसकी अध्यक्षता में प्रस्ताव विचारार्थ लिया जायेगा।
- (3) अध्यक्ष अपनी समिति में नामांकित पदाधिकारी को समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के बाद ही हटा सकेगा।
- (4) प्रदेश व राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्रमशः प्रादेशिक व राष्ट्रीय परिषद् के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा आहूत प्रादेशिक व राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में उपस्थित 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकेगा, यदि वह संख्या परिषद् की कुल सदस्य संख्या की 50 प्रतिशत से कम न हो। बैठक बुलाए जाने का नोटिस मिलने के बीस दिन

के भीतर सम्बद्ध अध्यक्ष को बैठक बुलानी होगी।

- (6) किसी समिति/कार्यकारिणी/परिषद् में किसी निर्वाचित सदस्य/सदस्यों का स्थान रिक्त होने पर उसी इकाई के शेष निर्वाचित सदस्य रिक्त स्थान/स्थानों की पूर्ति कर सकेंगे पर महिला तथा अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्यों के रिक्त स्थान की पूर्ति उस श्रेणी में से ही की जा सकेगी।
- (6) अध्यक्ष के रिक्त स्थान की पूर्ति उस प्रक्रिया से होगी जिस प्रक्रिया से उस पद पर प्रथम निर्वाचन हुआ था। अंतरिम काल के लिए सम्बन्धित उच्चतर समिति के अध्यक्ष द्वारा तदर्थ नियुक्ति की जायेगी जो अपने पदाधिकारियों को वर्तमान कार्य-समिति के सदस्यों में से ही मनोनीत करेगा।
- (7) कोई पद 6 महीने से अधिक समय के लिए रिक्त नहीं रहेगा।

गणपूर्ति

समिति/कार्यकारिणी की बैठक के लिए उस इकाई की कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई अथवा 10, जो भी कम हो, गणपूर्ति होगा।

परिषद् की बैठक की गणपूर्ति उस परिषद् की कुल संख्या का 10 प्रतिशत होगी। गणपूर्ति के अभाव में स्थगित बैठक उसी कार्य-सूची पर विचार के लिए उसी स्थान पर होगी। परन्तु ऐसी बैठक के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रतिनिधि

कोई प्रतिनिधि परिषद्/सम्मेलन/अधिवेशन के किसी सत्र अथवा बैठक में भाग नहीं ले सकेगा जब तक वह अपेक्षित शुल्क का भुगतान नहीं कर देगा।

विभिन्न मोर्चों/प्रकोष्ठों का प्रतिनिधित्व

राष्ट्रीय मोर्चों के अध्यक्ष राष्ट्रीय परिषद् और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में और प्रदेश मोर्चाध्यक्ष प्रदेश परिषद् और प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के संयोजक राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में तथा प्रदेश प्रकोष्ठों के संयोजक प्रदेश परिषद् की बैठक में स्थायी आमंत्रित होंगे।

पदाधिकारियों के अधिकार और उत्तरदायित्व

अध्यक्ष

- (1) सम्बन्धित समिति अथवा परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (2) संविधान के अनुसार अपनी समिति/कार्यकारिणी के पदाधिकारियों/सदस्यों को मनोनीत करना।
- (3) विभिन्न पदाधिकारियों तथा समिति/कार्यकारिणी के सदस्यों के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व का विभाजन करना।
- (4) अनिवार्य परिस्थिति में समिति/कार्यकारिणी के अधिकार का उपयोग करना। पर आपातस्थिति में लिए गए निर्णय पर अगली बैठक में ही स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।
- (5) अन्य दलों से बातचीत में भाग लेना या उस कार्य के लिए अपने दल के प्रतिनिधि मनोनीत करना।
- (6) अपनी समिति/कार्यकारिणी की बैठक की तिथि निश्चित करना और संविधान में उल्लिखित अवधि के भीतर बैठक का आयोजन करना।
- (7) अपनी इकाई के विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष एवं प्रकोष्ठों के संयोजक की सिफारिश/नियुक्ति करना और उनके कार्य का ताल-मेल बैठाना।
- (8) अपनी इकाई, समिति/कार्यकारिणी द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यकर्ता, अध्ययन शिविरों व प्रशिक्षण सम्मेलनों का संचालन करना।
- (9) पार्टी की संगठनात्मक और रचनात्मक गतिविधियों तथा आन्दोलनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में समिति/कार्यकारिणी का मार्गदर्शन करना।
- (10) विभिन्न इकाइयों के अध्यक्षों को एक समय में नियमानुसार निम्नलिखित धनराशि व्यय करने का अधिकार होगा :

स्थानीय समिति अध्यक्ष	500 रूपये
मण्डल समिति अध्यक्ष	2000 रूपये
क्षेत्र तथा जिला समिति अध्यक्ष	10000 रूपये
प्रदेश समिति अध्यक्ष	50,000 रूपये
राष्ट्रीय अध्यक्ष	यथोचित राशि

अनिवार्य परिस्थितियों में इससे अधिक धनराशि व्यय करने पर समिति/कार्यकारिणी की अगली बैठक में इसकी स्वीकृति लेना आवश्यक होगा।

उपाध्यक्ष

- (1) अध्यक्ष द्वारा निर्देशित जिम्मेदारी का वहन करना।
- (2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष जिस उपाध्यक्ष को लिखित रूप से निर्देशित करेगा वह बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि कोई निर्देश न हो, तो कार्यकारिणी/समिति किसी उपाध्यक्ष को अथवा सभी उपाध्यक्षों की अनुपस्थिति में किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को अध्यक्षता के लिए आमंत्रित करेगी।
- (3) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के उत्तरदायित्वों व अधिकारों का वहन करेगा।

महामंत्री

- (1) अध्यक्ष द्वारा निर्देशित तिथियों पर बैठकों का आयोजन। इसके लिए सूचना, विषय-सूची भेजना तथा व्यवस्था करना।
- (2) बैठक की कार्यवाही का ब्यौरा रखना और उसे सदस्यों में वितरित करना।
- (3) कार्यक्रमों, बैठकों, सम्मेलनों, संघर्ष एवं प्रचार की व्यवस्था करना।
- (4) पार्टी अध्यक्ष की स्वीकृति के अनुसार पार्टी के कार्यालय का संचालन करना तथा इस हेतु आवश्यक नियुक्तियां करना।
- (5) अध्यक्ष तथा समिति/कार्यकारिणी के निर्णयों का कार्यान्वयन करना।

मंत्री

अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उत्तरदायित्व का वहन करना तथा महामंत्री को उसके कार्यों में सहयोग देना।

कोषाध्यक्ष

- (1) अपनी इकाई के आय-व्यय का ब्यौरा रखना।
- (2) अपनी इकाई के आय-व्यय का ऑडिट करवाना और उसकी रिपोर्ट प्रतिवर्ष समिति/कार्यकारिणी को प्रस्तुत करना।
- (3) अधीनस्थ इकाइयों के आय-व्यय की जांच करना।

मांग बैठक

किसी भी समिति/कार्यकारिणी अथवा परिषद् के उतने सदस्यों द्वारा, जितने कि गणपूर्ति के लिए आवश्यक हैं, अपने अध्यक्ष को किसी

निश्चित विषय पर विचार करने के लिए सामूहिक आवेदन दिये जाने पर, अध्यक्ष द्वारा इकाई की बैठक 10 दिनों के अन्दर तथा परिषद् की बैठक एक महीने के अंदर बुलानी होगी।

पार्टी कोष

- (1) कोष संग्रह के लिए राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर ही रसीदें छपाई जायेंगी।
- (2) प्रत्येक रसीद क्रमांकित होगी तथा 20 रसीदों की पुस्तिका में जारी की जायेगी।
- (3) प्रत्येक रसीद पर सम्बन्धित प्रदेश/राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर की मुहर छापी जायेगी। संग्रहकर्ता भी प्रत्येक रसीद पर अपना स्पष्ट हस्ताक्षर करेगा।
- (4) मण्डल स्तर तक पार्टी का खाता बैंक में खोला जायेगा। कोषाध्यक्ष के अलावा अध्यक्ष अथवा महामंत्री के संयुक्त हस्ताक्षर से धन निकालने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) प्रादेशिक नेताओं को भेंट की जाने वाली थैलियों की राशि का विभाजन इस आधार पर किया जायेगा :-

मण्डल 40 प्रतिशत

जिला 30 प्रतिशत

राज्य 30 प्रतिशत

परन्तु यदि थैली किसी केन्द्रीय नेता को भेंट की गई हो, तो प्रदेश अपने हिस्से का 1/2 भाग केन्द्र को जमा करायेगा।

- (6) हिसाब का वर्ष एक अप्रैल से आरंभ होगा।
- (7) प्रत्येक समिति के हिसाब की प्रतिवर्ष उस व्यक्ति द्वारा जांच की जायेगी, जिसे सम्बन्धित समिति के प्रस्ताव द्वारा नियुक्त किया जायेगा तथा उसकी प्रतिवर्ष स्वीकृति दी जायेगी।
- (8) आजीवन सहयोग निधि में प्रतिवर्ष 1,000 रुपये या 5,000 रुपये या 10,000 रुपये देने वाला व्यक्ति पार्टी का आजीवन सहयोगी सदस्य बन सकेगा। प्रदेश द्वारा आजीवन सहयोग निधि के लिए एकत्रित की गई राशि का 25 प्रतिशत केन्द्रांश होगा।

मोर्चा तथा प्रकोष्ठों के लिए नियम

1. भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा के अध्यक्षों तथा आवश्यकतानुसार प्रकोष्ठों के अखिल भारतीय संयोजकों का मनोनयन करेगा।
2. भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष संबंधित अखिल भारतीय मोर्चा अध्यक्ष की सलाह से उस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन करेगा।
3. मोर्चे की अखिल भारतीय कार्यसमिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे।
(क) सभी प्रादेशिक मोर्चा अध्यक्ष; और
(ख) अखिल भारतीय मोर्चा अध्यक्ष द्वारा अपनी कार्यसमिति के लिए मनोनीत अधिक-से-अधिक 60 सदस्य।
4. मोर्चे का अखिल भारतीय अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति के सदस्यों में से अधिक-से-अधिक 7 उपाध्यक्ष तीन महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष और 7 मंत्री मनोनीत करेगा।
5. भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष सम्बन्धित मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष की सहमति से उस मोर्चे के जिला अध्यक्ष का मनोनयन करेगा।
यदि सहमति प्राप्त न हो सके तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोर्चे के जिला अध्यक्ष का मनोनयन करेगा।
6. मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:-
(क) सभी जिला मोर्चा अध्यक्ष; और
(ख) मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कार्यसमिति के लिए मनोनीत अधिक-से-अधिक 45 सदस्य।
7. प्रदेश मोर्चा अध्यक्ष अपनी कार्यसमिति के सदस्यों में से अधिक-से-अधिक छह उपाध्यक्ष, दो महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष और छह मंत्रियों का मनोनयन करेगा।
8. भारतीय जनता पार्टी का मण्डल अध्यक्ष, मोर्चा के जिला अध्यक्ष की सहमति से उस मोर्चे के मंडल अध्यक्ष का मनोनयन करेगा यदि सहमति प्राप्त न हो सके तो भाजपा जिला अध्यक्ष मोर्चे के मण्डल अध्यक्ष का मनोनयन करेगा।
9. मोर्चे की जिला समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

(क) सभी मंडल मोर्चा अध्यक्ष; और

(ख) मोर्चा जिला अध्यक्ष द्वारा अपनी समिति के लिए मनोनीत अधिकतम 30 सदस्य।

10. मोर्चे का जिला अध्यक्ष अपनी समिति के सदस्यों में से चार उपाध्यक्ष, दो महामंत्री, एक कोषाध्यक्ष तथा पांच मंत्री मनोनीत करेगा।
11. मंडल मोर्चा अध्यक्ष भाजपा मण्डल अध्यक्ष की सलाह से अधिक-से-अधिक 21 सदस्य मण्डल मोर्चा समिति में नामांकित करेगा। इनमें से दो उपाध्यक्ष, एक महामंत्री, चार मंत्री तथा एक कोषाध्यक्ष होंगे।
12. महिला, युवा, तथा किसान मोर्चे की जिला तथा ऊपर की इकाइयों में कम-से-कम दो सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति के होंगे।
13. युवा, किसान, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मोर्चों की जिला तथा ऊपर की इकाइयों में कम-से-कम एक महिला सदस्य अवश्य होगी।
14. पूर्व सैनिक, व्यापारी, कर्मचारी, श्रमिक दस्तकार, बुनकर, पशुपालक, मछुआरे, धोबी, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, रेहडी वाले, सहकारी क्षेत्र में कार्य करने वालों आदि के हितों का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय, प्रादेशिक, जिला तथा मण्डल स्तर पर प्रकोष्ठों का गठन किया जायेगा।
15. प्रकोष्ठों के संयोजक, पदाधिकारियों तथा कार्यसमिति के सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा तथा प्रदेश स्तर पर प्रकोष्ठों के संयोजक, पदाधिकारियों तथा समिति के सदस्यों का मनोनयन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष द्वारा तथा जिला स्तर पर प्रकोष्ठों के संयोजक पदाधिकारियों तथा समिति के सदस्यों का मनोनयन भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।
16. मोर्चा/प्रकोष्ठों के लिए भारतीय जनता पार्टी की रसीद बहियों पर ही धन एकत्रित किया जायेगा ये रसीद बहियां भारतीय जनता पार्टी की सम्बद्ध इकाई से ही प्राप्त होगी। उन रसीदों पर मोर्चा/प्रकोष्ठ के नाम की मुहर लगाई जायेगी। एकत्रित धनराशि, भारतीय जनता पार्टी इकाई के हिसाब में एक अलग खाते में जमा की जायेगी तथा उसे मोर्चा/प्रकोष्ठ अध्यक्ष/संयोजक की स्वीकृति से ही खर्च की जायेगी। विभिन्न स्तरों पर मोर्चा/प्रकोष्ठ द्वारा एकत्रित धनराशि का विनियोग

निम्न प्रकार से होगा :

- (क) जिला स्तर तक उस मोर्चा/प्रकोष्ठ द्वारा एकत्रित कुल धनराशि का 25 प्रतिशत उस मोर्चे/प्रकोष्ठ की प्रदेश इकाई को।
- (ख) उस मोर्चे/प्रकोष्ठ की प्रदेश इकाई द्वारा एकत्रित कुल धनराशि का 10 प्रतिशत उसी मोर्चे प्रकोष्ठ की अखिल भारतीय इकाई को।
17. मोर्चों/प्रकोष्ठों के कार्य हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था संबंधित भारतीय जनता पार्टी इकाइयों द्वारा की जायेगी।
18. मोर्चे/प्रकोष्ठ के किसी सदस्य अथवा इकाई पर मोर्चा/प्रकोष्ठ कार्य में अनुशासन भंग का आरोप होने पर मोर्चा/प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय/प्रादेशिक अध्यक्ष/संयोजक भाजपा राष्ट्रीय/प्रादेशिक अध्यक्ष यथास्थिति सहमति से निलम्बन की कार्यवाही कर सकेगा। निलम्बित सदस्य/इकाई को कारण बताओ पत्र जायेगा तथा उनसे जवाब मांगा जायेगा। इसके पश्चात् मामला उत्तर के साथ (यदि कोई प्राप्त हुआ हो तो) भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय/प्रदेश अनुशासन समिति को सौंपा जायेगा। संबंधित मोर्चा/प्रकोष्ठ का एक प्रतिनिधि भी उस मामले के निपटारे के बारे में विचार करते समय अनुशासन समिति में सम्मिलित किया जायेगा।
19. मोर्चा/प्रकोष्ठ की सभी कार्य व्यवस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी का संविधान तथा नियम लागू होंगे।
20. मोर्चा/प्रकोष्ठों की राष्ट्रीय, प्रादेशिक तथा जिला कार्य समितियों में केवल सक्रिय सदस्यों का ही नामांकन किया जायेगा।
21. युवा मोर्चे के कार्यों में सामान्यतः 35 वर्ष तक की आयु के ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही भाग लेंगे।

फार्म 'क'
भारतीय जनता पार्टी.....प्रदेश
प्राथमिक सदस्यता आवेदन-पत्र
काल-खण्ड.....

तिथि..... क्र०सं०.....

मैं..... भारतीय जनता पार्टी का सदस्य/सदस्या बनना चाहता/चाहती हूँ। मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक है तथा इस पत्र के पीछे छपी प्रतिज्ञा के पालन का वचन देता/देती हूँ।

मैं पहली बार सन्..... में भारतीय जनता पार्टी का/की सदस्य/सदस्या बना थी/बनी थी।

मैं इस पत्र के साथ सदस्यता शुल्क के 5 रुपये जमा कर रहा/रही हूँ।

नाम..... जन्म तिथि.....

पिता/पति का नाम..... लिंग : पुरुष..... स्त्री.....

कारोबार का पता..... जिला.....

पता 1..... संसदीय क्षेत्र.....

पता 2..... विधान सभा

शहर मण्डल

पिन कोड..... वार्ड/ग्राम

दूरभाष (.....) मतदान केंद्र नं०.....

ई-मेल..... व्यवसाय

शिक्षा सामाजिक वर्ग

सदस्य बनाने वाले व्यक्ति प्रार्थी के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
के हस्ताक्षर व पता

प्रतिज्ञा

मैं भारतीय जनता पार्टी के मूलदर्शन "एकात्म मानववाद" को मानता/मानती हूँ। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता, लोकतंत्र, "सामाजिक-आर्थिक समस्याओं के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर समतायुक्त एवं शोषणमुक्त समाज की स्थापना, सकारात्मक पंथ-निरपेक्षता" अर्थात् सर्वधर्मसमभाव, और मूल्यों पर आधारित राजनीति के प्रति मेरी निष्ठा है।

मैं ऐसे राज्य की अवधारणा को स्वीकार करता/करती हूँ जो

सम्प्रदाय-निरपेक्ष हो तथा उपासना-पद्धति पर आधारित न हो।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस लक्ष्य की पूर्ति केवल शांतिपूर्ण उपायों से ही हो सकती है।

मैं जाति, लिंग एवं मजहब के आधार पर किसी प्रकार के विभेद पर विश्वास नहीं करता/करती हूँ।

मैं किसी भी रूप में अस्पृश्यता को नहीं मानता/मानती हूँ, न उसे अपने व्यवहार में आने देता/देती हूँ।

मैं किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य/की सदस्या नहीं हूँ।

मैं पार्टी के संविधान, नियम और अनुशासन के पालन का वचन देता/देती हूँ।

रसीद

भारतीय जनता पार्टी..... प्रदेश
प्राथमिक सदस्यता आवेदन-पत्र
काल खण्ड

तिथि..... क्र सं०.....

नाम और पता

.....
.....
.....
.....

से भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन-पत्र 5 रुपये शुल्क सहित प्राप्त किया।

सदस्य बनाने वाले का हस्ताक्षर एवं पता

प्रदेश अध्यक्ष की मुहर

‘एकात्मक मानववाद’ पार्टी का मूल दर्शन है।

राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकात्मता, लोकतंत्र, सामाजिक-आर्थिक विषयों के प्रति गांधीवादी दृष्टिकोण के आधार पर समतायुक्त एवं शोषण मुक्त समाज की स्थापना, सकारात्मक सेक्युलरवाद (सर्वधर्मसमभाव) और मूल्यों पर आधारित राजनीति के प्रति भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है।

आर्थिक और राजनैतिक विकेन्द्रीकरण में पार्टी विश्वास करती है।

फार्म ख

भारतीय जनता पार्टी प्रदेश

सक्रिय सदस्यता आवेदन-फार्म सत्र

तिथि..... क्र० सं०.....

प्रदेश अध्यक्ष..... प्रदेश.....

1. मैं पिता/पति का नाम.....

निवास..... पिन कोड

दूरभाष..... फैंक्स न०.....

मोबाईल न०..... ई-मेल न.....

जन्म तिथि (दिन/महीना/वर्ष) / /

लिंग : पुरुष स्त्री

शिक्षा : 12वीं से कम 12 वीं स्नातक स्नातकोत्तर

सामाजिक वर्ग: अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति

पिछड़ा वर्ग सामान्य

राजनीतिक पता

लोकसभा (क्षेत्र).....

विधान सभा(नाम).....

क्षेत्र : ताल्लुका/पंचायत नगर पालिका

(एक चुनें) जिला पंचायत ब्लाक डेवेलपमेंट

महानगर पालिका/वार्ड

स्थानीय समिति

बूथ न०.....

गांव का नाम.....

वार्ड.....

निवास स्थान की श्रेणी महानगर नगर निगम

नगर पालिका नगर पंचायत

ग्राम पंचायत

अर्द्ध ग्रामीण (5000 से कम जनसंख्या का)

किसी निर्वाचित पद पर रहें हो हाँ नहीं
पार्टी में किसी पद पर रहें हो हाँ नहीं
शासन में किसी पद पर रहें हो हाँ नहीं

2. मैं वर्ष से..... भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ। मेरा सदस्यता फार्म नम्बर है..... ।

3. मैं रूपये जमा करा रहा हूँ (अपनी ओर से या संग्रह करके)

4. मेरी ओर से पार्टी कोष/खाते में कोई राशि देय नहीं है। मेरा नाम सत्र..... के लिए..... मण्डल की सक्रिय सदस्यता सूची में सम्मिलित किया जाए।

5. मैं भारत की सम्प्रभुता, एकता, एकात्मता में विश्वास रखता हूँ। मुझे भारत में किसी न्यायालय ने किसी आपराधिक मामले में दण्डित नहीं किया है। मैं जानता हूँ कि यदि मेरी ओर से दी गई जानकारी में कुछ भी मिथ्या हुआ तो भाजपा मेरी सक्रिय सदस्यता को तुरन्त रद्द कर सकती है।

तिथि आवेदक का नाम

पूरा पता.....पिता/पति का नाम
श्री/श्रीमती/कुमारी.....द्वारा दी गई उपरोक्त
जानकारी सही है। उनका आवेदन स्वीकार किया जाये अथवा धारा 12(4)
के अन्तर्गत उनके आवेदन पर अनुकूल विचार किया जाए।

.....
तिथि प्राप्तकर्ता जिला अध्यक्ष के हस्ताक्षर

आवेदन स्वीकृत/अस्वीकृत

जिला मण्डल

क्रमांक सं० 1
2
3

तिथि रबड़ मोहर
जिला अध्यक्ष

जिला
उपसमिति के हस्ताक्षर

नोट— जिन आवेदकों के फार्म स्वीकृत नहीं होंगे उन्हें तुरन्त सूचित किया जायेगा।

भारतीय जनता पार्टी.....प्रदेश
रसीद

श्री/श्रीमती/कुमारी से
सक्रिय सदस्यता फार्म सहित..... रूपये प्राप्त किये।

तिथि जिला अध्यक्ष के हस्ताक्षर

जीवन वृत्तान्त

व्यवसाय निजी क्षेत्र सार्वजनिक सेवा शिक्षक
व्यापार उद्योग
सूचना तकनीक विशेषज्ञ वकील
डॉक्टर कृषि
चार्टर्ड एकाउंटेंट अन्य
मोर्चे महिला युवा किसान
अल्पसंख्यक अनुसूचित जाति/जनजाति
प्रकोष्ठ पूर्व सैनिक व्यापारी
अकुशल श्रमिक कुशल श्रमिक
सूचना तकनीकी मीडिया
सहकारी
कौशल सार्वजनिक भाषण कला घर-घर चुनाव प्रचार
दूरभाष चुनाव प्रचार प्रकाशन
संगठन कम्प्यूटर खेल
कला

अन्य क्षेत्रों में सक्रिय भागीदारी :

शिक्षा सहकारी संस्थाएं
बैंकिंग और आर्थिक क्षेत्र
साहित्य, कला खेल
सेवोन्मुखी संस्थाएं
(उदाहरण : महिला, विकलांग)
श्रमिक और यूनियन गतिविधियां

यदि किसी निर्वाचित उच्च पद पर रहे हों तो उसका विवरण :

पद :

प्रतिनिधित्व किया.....

पद पर रहने का काल :

पार्टी में यदि किसी उच्च पद पर रहे हों तो उसका विवरण

राष्ट्रीय प्रदेश जिला मण्डल

पद :

प्रतिनिधित्व किया.....

पद पर रहने का काल :

शासन में किसी उच्च पद पर रहे हों तो उसका विवरण

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार नगरपालिका
पंचायत मण्डल वार्ड

पद :

प्रतिनिधित्व किया.....

पद पर रहने का काल :

विगत पांच वर्षों की विशेष उपलब्धियां:.....

.....

.....

.....

.....

.....

प्रपत्र (ग)

स्थानीय समिति के अध्यक्ष/सदस्य के लिए नामांकन पत्र

मैं.....स्थानीय समिति.....के

अध्यक्ष/सदस्य के लिए श्री.....का नाम

प्रस्तावित करता हूँ।

तिथि प्रस्तावक के हस्ताक्षर

समय मतदाता-सूची की क्रम संख्या

मैं.....उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ।

तिथि उम्मीदवार के हस्ताक्षर

समय मतदाता सूची की क्रम-संख्या

नामांकन-पत्र स्वीकार/अस्वीकार किया गया।

कारण (संक्षेप में)

तिथि चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

समय

रसीद

श्री का नामांकन-पत्र स्थानीय समिति
..... के अध्यक्ष/सदस्य के लिए प्राप्त हुआ।

तिथि चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

समय

फार्म (घ)

मण्डलसमिति/मण्डल अध्यक्ष/जिला अध्यक्ष/ प्रदेश

परिषद् के चुनाव के लिए नामांकन पत्र

मैंजो..... जिले की स्थानीय/मंडल
समिति..... का निर्वाचित सदस्य हूँ श्री

..... का नाम मण्डल समिति के अध्यक्ष/मण्डल समिति के
सदस्य/जिलाध्यक्ष/प्रदेश परिषद् के सदस्य के लिए प्रस्तावित करता हूँ।

तिथि प्रस्तावक के हस्ताक्षर

समय मण्डल/जिला की मतदाता

सूची में क्रम संख्या

मैं.....जो..... जिले की स्थानीय
समिति/मण्डल समिति..... का निर्वाचित सदस्य हूँ
उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

तिथि समर्थक के हस्ताक्षर

समय मण्डल/जिला की

मतदाता-सूची में क्रम संख्या

मैं जो..... जिले

के.....मंडल क्षेत्र में..... अवधि तक सक्रिय सदस्य और वर्ष प्राथमिक सदस्य रहा हूँ उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। मैं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का सदस्य हूँ/ नहीं हूँ।

तिथि उम्मीदवार के हस्ताक्षर
समय सक्रिय सदस्यता-सूची की क्रम संख्या
नामांकन-पत्र स्वीकार/अस्वीकार किया गया।

कारण (संक्षेप में)

तिथि
समय चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

रसीद

श्री का नामांकन-पत्र मण्डल समिति/मंडल अध्यक्ष/जिला अध्यक्ष/प्रदेश परिषद् के लिए प्राप्त हुआ।

तिथि
समय चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म (ड़)

राष्ट्रीय परिषद् सदस्य के चुनाव के लिए नामांकन-पत्र

मैंजो प्रदेश परिषद् का निर्वाचित सदस्य हूँ राष्ट्रीय परिषद् सदस्य के लिए श्री..... का नाम प्रस्तावित करता हूँ।

तिथि प्रस्तावक के हस्ताक्षर
समय निर्वाचक-मंडल मतदाता-सूची में क्रम संख्या
मैंजो.....प्रदेश से प्रदेश परिषद् का निर्वाचित सदस्य हूँ उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

तिथि समर्थक के हस्ताक्षर
समय निर्वाचक-मण्डल मतदाता-सूची में क्रम संख्या

मैं जो..... मण्डल.....जिला.....प्रदेश का.....अवधि से सक्रिय सदस्य हूँ उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ

तिथि उम्मीदवार के हस्ताक्षर
समय सक्रिय सदस्यता मतदाता-सूची में क्रम संख्या
नामांकन-पत्र स्वीकार/अस्वीकार किया गया।

तिथि
समय चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

रसीद

श्री का नामांकन-पत्र राष्ट्रीय परिषद् सदस्यता के लिए प्राप्त हुआ।

तिथि
समय चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म (च)

प्रदेश अध्यक्ष/राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए

नामांकन-पत्र

हम जो प्रदेश परिषद्/राष्ट्रीय परिषद् के निर्वाचित सदस्य हैं, श्री..... का नाम प्रदेश/अ. भा. अध्यक्ष के पद के लिए प्रस्तावित करते हैं।

क्रम सं. नाम निर्वाचक मंडल सूची में संख्या

- | | |
|-----|-----|
| 1. | 11. |
| 2. | 12. |
| 3. | 13. |
| 4. | 14. |
| 5. | 15. |
| 6. | 16. |
| 7. | 17. |
| 8. | 18. |
| 9. | 19. |
| 10. | 20. |

तिथि..... प्रस्तुत कर्ता के हस्ताक्षर
समय

मैं.....जो.....मण्डल.....
जिला.....प्रदेश काअवधि से
 सक्रिय सदस्य औरवर्ष से प्राथमिक सदस्य
 हूँ उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ।

तिथि.....

समय

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
 सक्रिय सदस्यता-सूची में
 क्रम संख्या.....

नामांकन पत्र स्वीकार किया गया। अस्वीकार किया गया।
 कारण संक्षेप में।

चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

रसीद

श्री..... का नामांकन पत्र प्रदेश
 अध्यक्ष/राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए प्राप्त हुआ।

तिथि

समय चुनाव अधिकारी के हस्ताक्षर

फार्म (छ)

मण्डल/जिला/प्रदेश/राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मत-पत्र

क्रम सं.....

क्रम सं. उम्मीदवार का नाम

1.

ह. चुनाव अधिकारी

फार्म (ज)

मण्डल समिति के सदस्यों के लिए मत-पत्र

क्र. सं.....

उम्मीदवार सूची में क्रम-संख्या उम्मीदवार का नाम

ह. चुनाव अधिकारी

फार्म (झ)
 प्रदेश परिषद्/राष्ट्रीय परिषद् सदस्यों के चुनाव के लिए
 मत-पत्र

उम्मीदवार सूची में क्रम सं.	उम्मीदवार का नाम
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	ह. चुनाव अधिकारी

फार्म (ञ)

निर्वाचन में उम्मीदवार हेतु आवेदन-पत्र

मैंजिला.....मंडल
के आगामी चुनाव में उम्मीदवार होना चाहता
 हूँ। मैं.....मंडल.....जिला.....
में भाजपा का.....अवधि से सक्रिय सदस्य
 और.....वर्ष से प्राथमिक सदस्य हूँ।

मुझे यदि उपरोक्त चुनाव लड़ने हेतु अनुमति प्रदान की गई, तो मैं वचन
 देता हूँ कि मैं पार्टी के निर्णयों व अनुशासन का पालन करूंगा। उपरोक्त
 चुनाव लड़ने हेतु मुझे अनुमति न भी प्रदान की गई तब भी

मैं पार्टी के एक अनुशासित सदस्य के रूप में कार्य करता रहूंगा।
 सार्वजनिक तथा पार्टी कार्य में मेरे योगदान का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है:-

सक्रिय सदस्यता क्रमांक आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर

मंडल समिति पूरा पता.....

.....
 जिला.....

प्रदेश.....

रसीद

श्री..... से

चुनाव लड़ने हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर

तिथि

महामंत्री

स्थान

मंडल / जिला / प्रदेश समिति

□ □ □